1. Fifteenth Report of the Committee on Demands for Grants (2005-2006) of the Ministry of Communications and Information Technology (Department of Information Technology);

2. Sixteenth Report of the Committee on Demands for Grants (2005-2006) of the Ministry of Communications and Information Technology (Department of Posts);

3. Seventeenth Report of the Committee on Demands for Grants (2005-2006) of the Ministry of Communications and Information Technology (Department of Telecommunications); and

4. Eighteenth Report of the Committee on Demands for Grants (2005-2006) of the Ministry of Information and Broadcasting.

Reports of the Department related Parliamentary Standing Committee on Social Justice and Empowerment

श्रीमती सविता शारदा (**गुजरात**):महोदय,मैं विभाग संबंधित सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी संसदीय स्थायी समिति (चौदहवीं लोक सभा) के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (अंग्रेजी तथा हिंदी में)सभा पटल पर रखती हूँ:

1. Seventh Report of the Committee on Demands for Grants (2005-2006) of the Ministry of Social Justice and Empowerment; and

2. Eighth Report of the Committee on Demands for Grants (2005-2006) of the Ministry of Tribal Affairs.

Reports of the Department Related Parliamentary Standing Committee on Urban Development

SHRI B.K. HARIPRASAD (Karnataka): Sir, I beg to lay on the Table **a** copy (in English and Hindi) of the Sixth Report of the Department-Related Parliamentary Standing Committee on Urban Development (Fourteenth Lok Sabha) on Demands for Grants (2005-2006) of the Ministry of Urban Employment and Poverty Alleviation.

MATTERS RAISED WITH PERMISSION

Sabarmati Express Accident

विपक्ष के नेता (**श्री जसवन्त सिंह**):सभापति महोदय,मुझे बहुत खेद है और मैं दुख के साथ आपका और माननीय सदस्यों का ध्यान,आज सवेरे जो एक बहुत ही दुखद घटना हुई है,

बड़ोदरा और अहमदाबाद के बीच में रेल दुर्घटना की, जिसमें अभी जो हाल में समाचार मिले हैं, उनके अनुसार 25-30 लोग मारे गए हैं। हर बार जब रेल की इस किस्म की कोई दुर्घटना हो तो हमें कोई संतोष नहीं होता कि हम सदन में उसका उल्लेख करें। बार-बार रेल दुर्घटना होती रहें,हम यहां आपस में संतोष करके पॉलिटिकल टकराव कर लें और रेल गाडियों समूचे भारत में टकराती रहें, कहीं-न-कहीं तो किसी की जिम्मेदारी बनती है। माननीय प्रधान मंत्री जी नहीं हैं। नहीं तो मैं प्रधान-मंत्री जी से पूछता कि रेल विभाग किसके जिम्मे है और ये इतनी दुर्घटनाएं हो रहीं हैं तो कोई-न-कोई तो रेल दुर्घटनाओं की जिम्मेदारी लेकर कहे कि यह मेरी वजह से,मेरी लापरवाही की वजह से,मेरी अनुपस्थिति की वजह से यह मेरे राजनीति में लिप्त होने की वजह से हो रही है। हर रोज़ ऐसी दुर्घटनाएं होती जाए ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति:आप बोलने दीजिए ...(**व्यवधान**)... उन्होंने क्या-क्या बात कही है। ...(**व्यवधान**)... क्या कहा है? ...(**व्यवधान**)...इससे कोई मतलब नहीं है।Don't disturb. Please don't disturb... *(Interruptions)...*

प्रो. राम देव भंडारी: (**बिहार**): सर,यह रेल की कोई पहली दुर्घटना नहीं है। ...(**व्यवधान**)... यह रेल की कोई पहली दुर्घटना नहीं है।

श्री सभापति:आपको बोलना है तो ...(**व्यवधान**)... सरकार बोलेगी, आप क्यों बोल रहे हैं? ...(**व्यवधान**)... गवर्नमेंट अपने आप बोलेगी। ...(**व्यवधान**)... आप दुखी है। ...(**व्यवधान**)...

एक माननीय सदस्य: इस घटना से हम सब दुखी हैं। ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति:दुखी है,तो वही दुख तो ये प्रकट कर रहे हैं,और क्या है? ...(**व्यवधान**)... गवर्नमेंट इसका जवाब दे देगी ...(**व्यवधान**)... बैठिए,बैठिए। ...(**व्यवधान**)... आज ये एक्सिडेंट का जिक्र कर रहे है। यह कोई नई बात है क्या? ...(**व्यवधान**)... बैठिए, बैठिए ...(**व्यवधान**)... let him finish...(interruptions)... आप बाद में कर लेना। ...(**व्यवधान**)...

प्रो. राम देव भंडारी:सर, यह बहुत दुखद घटना है। ...(**व्यवधान**)... मगर इसका राजनीतिकरण नहीं किया जाए। ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति:बैठिए। बैठिए। बैठ जाइए। ...(**व्यवधान**)... आप बोलिये।

श्री जसवन्त सिंह:महोदय ...(**व्यवधान**)...

एक माननीय सदस्य:लाश पर राजनीति करना चाहते हैं। ...(**व्यवधान**)...

श्री आनन्द शर्मा (**हिमाचल प्रदेश**):यह गंभीर विषय है,इस पर बात होनी चाहिए। ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति:ये वही बात तो कर रहे हैं। ...(**व्यवधान**)... आपने गम्भीरता से लिया ना। ...(**व्यवधान**)...

श्री जसवन्त सिंह:चेयरमैन साहब, राम देव भंडारी जी मेरे बहुत पुराने मित्र और सहयोगी हैं। ये नाहक नाराज हो रहे हैं। ...(**व्यवधान**)...

प्रो. राम देव भंडारी:सर, मैं नाराज नहीं हूँ। ...(**व्यवधान**)...

श्री जसवन्त सिंह:मैं तो आपकी ही बात कह रहा हूँ। ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति:जरा ठहरिए। ठहरिए। ...(**व्यवधान**)...

प्रो. राम देव भंडारी:मैं आपका बहुत सम्मान करता हूँ। ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति:मैं माफी चाहता हूँ कि थोड़ा आप ...(**व्यवधान**)...

प्रो.राम देव भंडारी:आप जब भी बोलने के लिए खड़े होते हैं,मैं पूरी एकाग्रता से और ध्यानपूर्वक आपको सुनता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप जो भी बोलेंग़े,वह पार्टी से ऊपर उठ कर बोलेंगे। यह मैं आप से कहना चाहता हूँ। ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति:खत्म कीजिए।...(**व्यवधान**)... बोलिए,आप बोलिए।

श्री जसवन्त सिंह:मै आपके दुख में भागीदार हूँ। आपके दुख में शरीक हो रहा हूँ और आप ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति:आप बैठिए। ...(**व्यवधान**)...

श्री प्रेमचन्द गुप्ता (बिहार):माननीय जसवंत सिंह जी, यह पूरे सदन की बात है,पूरे देश की बात है। ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति:आप बोलने तो दीजिए। उन्होंने अभी बोला ही नहीं है ...(**व्यवधान**)...

आप भी तो थोड़ा-सा बैठ जाइए। इनको बोलने दीजिए। ...(**व्यवधान**)... ठीक है, ठीक है ...(**व्यवधान**)... चलिए,चलिए।

श्री जसवन्त सिंह:माननीय सदस्य और मित्रगण समझ नहीं पाए। मैं दुर्घटना पर ही दुख व्यक्त कर रहा हूँ। ...(**व्यवधान**)...

श्री प्रेमचन्द गुप्ता:आप इसमें राजनीति कर रहे हैं। ...(**व्यवधान**)... सस्ती राजनीति कर रहे हैं। ...(**व्यवधान**)...

श्री जसवन्त सिंह:सभापति जी,मैं इस रास्ते और आगे नहीं जाना चाहता। माननीय सदस्यों को आपत्ति हो रही है कि मै इसका कोई उल्लेख करुं। मुझे इसमें कोई राजनीति नहीं दिखी।

जब इस प्रकार से हमारे नागरिक मारे जाएं, दुर्घटना में मारे जाएं, तो हम सभी सदस्यों का फर्ज बनता है। हम प्रतिपक्ष में बैठे हैं। हमारा कर्त्तव्य बनता है कि हम सरकार से पूछें। ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति:ठहरिए, ठहरिए। ...(**व्यवधान**)... बोलने दीजिए। बीच में क्यों बोलते हैं?

श्री जसवन्त सिंह:हम सरकार से पूछें तो सही कि क्या हुआ है, कौन जिम्मेंदार हैं,क्यों हुआ? ...(**व्यवधान**)... यही तो हम पूछ रहे हैं और निश्चित रुप से सरकार और आप सब बहुत ही कुशल हैं। सरकार का काम-काज भी बहुत अच्छी तरह से चलाते हैं और निश्चित रुप से जो जवाब देना होगा,वह देंगे।

कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय मे राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): आदरणीय सभापति महोदय,यह बहुत दुखद घटना है कि आज प्रातः 3 बजकर 10 मिनट पर 9168 –वाराणसी-अहमदाबाद-साबरमती एक्सप्रेस और गुड्स ट्रेन के बीच भिडंत हुई। यह दुर्घटना गुजरात में समलिया स्टेशन के पास घटित हुई है।

मान्यवर,रेल दुर्घटनाएं किसी भी सरकार के कार्यकाल में हो, दुखद हुआ करती हैं। जैसे ही यह दुर्घटना हुई,माननीय रेल मंत्री जी,रेलवे बोर्ड के चेयरमैन,रेल राज्य मंत्री,जो स्वयं गुजरात से हैं, नारनभाई राठवा जी, वे और रेलवे के दूसरे संबंधित अधिकारी दुर्घटना-स्थल पर पहुंचे हैं। रेल मंत्री जी लौटकर आने के बाद वे इस संबंध में विस्तार से अपना वक्तव्य देंगे,लेकिन रेल मंत्री जी तुरंत दुर्घटना-स्थल पर पहुंचे हैं जो इस बात की पुष्टि करता है कि वे सचेत हैं,सजग हैं और इस बात से बहुत आहत भी हैं। लौट के आने के बाद वे इस मामले में,मैं सेचता हूँ,विस्तार से अपना वक्तव्य देंगे। इस स्थिति में मेरा ज्यादा कहना उचित नहीं होगा,लेकिन मैं आपके जरिए,मैं सोचता हूँ कि पूरा सदन इस बात से सहमत होगा,यह कहना चाहता हूँ कि यह निश्चित रुप से बहुत दुखद और दुर्भाग्यजनक घटना है और इसमें जो प्रभावित हुए हैं,उनके प्रति न केवल हम श्रद्धांजलि अर्पित करें,संवेदनाएं व्यक्त करें बल्कि हम इस बात के लिए भी कृत-संकल्पित हों कि उनको यथासंभव मदद दी जाए, चाहे फाइनेन्सियल मदद हो या दूसरे किस्म की मदद हो। सरकार की तरफ से मै आश्वस्त करना चाहूंगा कि उन प्रभावितों को यथासंभव मदद प्रदान की जाएगी। रेल विभाग इस संबंध में क्या कदम उठाएगा, इस संबंध में तो रेल मंत्री जी जब अपना वक्तव्य देंगे,तो वे स्पष्ट करेंगे। रही बात यह कि इस रेल दुर्घटना के लिए कौन जिम्मेदार है,तो इस स्थिति में कुछ कहना अर्थहीन होगा,यह तो माननीय रेल मंत्री जी ही बता पाएंगे कि इसकी वे जांच कराएंगे। जांच के बाद जो निष्कर्ष निकलेंगे, तब हम कुछ कहने की स्थिति में होंगे।

श्री जसवन्त सिंह:इतना बता दीजिए कि इसमें कितने हताहत हुए हैं,इसकी कोई जानकारी आपके पास है?

श्री सभापति:कितने हताहत हुए है, कितने मरे है, इसकी कोई जानकारी है?

श्री सुरेश पचौरी:मान्यवर, अभी तक जो जानकारी मिली है,ऑफिशियल जो जानकारी मिली है,यद्यपि जो प्रभावित हैं,उनकी संख्या बढ़ती जा रही है,लेकिन जो अभी तक ऑफिशियल जानकारी है,इसमें जो डीरेलमेंट हुआ है,उसकी वजह से सात कोच प्रभावित हुए हैं। जो कैजुअलिटी की ऑफिशियल जानकारी हमको मिली है, उसके हिसाब से 11 लोग मारे गए हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रानिक संख्या बताई जा रही है,वह ज्यादा है। मुझे तो जो अधिकृत संख्या बताई जाएगी,उसी का मैं उल्लेख करना चाहूंगा। जो घायल हुए हैं,उनकी मुझे जो अधिकृत,ऑफिशियल जानकारी मिली है,उनकी संख्या 54 है,लेकिन जो इलेक्ट्रोनिक मीडिया के जरिए आ रही है,वह संख्या ज्यादा बताई जा रही है।

श्री सभापति:ठीक है।

Laying the Report of the Nanavati Commission on the Table of the House

SHRI YASHWANT SINHA (Jharkhand): Mr. Chairman, Sir, there was a Commission of Inquiry appointed when the NDA Government was in power, to inquire into the Sikh riots which took place in 1984, under the Chairmanship of Justice Nanavati. Sir, Justice Nanavati Commission has submitted its Report in February 2005, and we have been demanding from the Government that the Report of the Nanavati Commission be placed on the Table of the House, and that we should be provided with an opportunity of discussing this issue. Sir, yesterday, Justice Nanavati has gone on record to say a few very damaging things, and, I think, it is unnecessary controversy which is being generated. If the Government, in its wisdom, decided to place the Report, without any further loss of time, on the table of this House, then, we will know what the truth is, all speculations will come to an end, and the Government also will be enabled to take action against whoever is guilty, and reopen cass against whom the cases have not been properly pursued. So, I would like to make a demand on the Government that this Report be placed without any further loss of time, and that there should be a statement in this House now from the hon. Minister of Parliamentary Affairs that they will place the Report and he should indicate the time-frame within which this Report, with Action Taken Report, will be placed.

कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी):आदरणीय सभापति महोदय,कमीशन ऑफ इन्क्वायरी एक्ट,1952 के सेक्शन 4 में यह प्रोविजन है कि जब भी किसी कमीशन का गठन इस